

फा.सं.08/01/2026-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,

जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15 मई, 2026

**कार्यालय जापन**

**विषय: SPARROW पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) भरने हेतु समय-सीमा में विस्तार के संबंध में।**

राजभाषा विभाग के दिनांक 16.02.2026 के समसंख्यक कार्यालय जापन के संदर्भ में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के कार्मिकों के कार्मिकों हेतु वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया की समय-सीमा में संशोधन/विस्तार किया गया है।

2. तदनुसार, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के कार्मिकों हेतु SPARROW पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया की संशोधित समय-सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

क्र. सं.	गतिविधि	कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि	Auto-Forward की तिथि
1.	संबंधित कार्मिकों को APAR प्रपत्र उपलब्ध कराना	01 अप्रैल, 2026	---
2.	Officer Reported Upon (ORU) द्वारा स्व-मूल्यांकन भरकर Reporting Officer को प्रेषित करना	15 जून, 2026	16 जून, 2026
3.	Reporting Officer द्वारा APAR भरकर Reviewing Officer को अग्रेषित करना	31 जुलाई, 2026	01 अगस्त, 2026
4.	Reviewing Officer द्वारा APAR पूर्ण कर Administration/CR Section/Custodian को भेजना	31 अगस्त, 2026	01 सितम्बर, 2026
5.	Accepting Authority द्वारा मूल्यांकन, जहाँ लागू हो	30 सितम्बर, 2026	01 अक्टूबर, 2026
6.	APAR का ORU को प्रकटीकरण (Disclosure)	01 अक्टूबर, 2026	15 अक्टूबर, 2026
		ORU द्वारा अभ्यावेदन (यदि कोई हो) केवल प्रकटीकरण(Disclosure) प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर ही किया जा सकता है।	
7.	अभ्यावेदन (यदि कोई हो) को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना	21 अक्टूबर, 2026	06 नवम्बर, 2026
8.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण	अभ्यावेदन प्राप्ति से एक माह के भीतर	
9.	अभ्यावेदन पर निर्णय की सूचना	15 दिसम्बर, 2026	
10.	APAR प्रक्रिया का अंतिम समापन एवं अभिलेखीकरण	31 दिसम्बर, 2026	

3. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के SPARROW Nodal अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया उपर्युक्त संशोधित समय-सीमा के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि APAR सृजन के समय ORU, Reporting Officer तथा Reviewing Officer की mapping सही प्रकार से की गई हो, क्योंकि Auto-Forward के उपरांत APAR को पुनः पूर्व स्तर पर वापस भेजने का प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा।
5. सभी संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे SPARROW पोर्टल पर समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि APAR प्रक्रिया का समयबद्ध समापन किया जा सके।

  
15/5/2026

(राजेश कुमार)

उप निदेशक (सेवा)

दूरभाष: 011-23438125

([email- sparrowsupport-csols@gov.in/](mailto:sparrowsupport-csols@gov.in)

[soservice-dol@gov.in](mailto:soservice-dol@gov.in))

सेवा में,

1. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारी/ अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी कार्मिकों को वेबसाइट के माध्यम से।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय जापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फ़ाइल
5. NIC/SPARROW Team - आवश्यक Auto-Forward configuration सुनिश्चित करने हेतु।